रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261544
SG-DL-E-11032025-261544

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 439
No. 87] DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946 [N. C. T. D. No. 439

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. IV/विविध/आरआर/स्था0/10/पार्ट फा0–3/2177.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 23.09.1969 अधिसूचना संख्या फा0 2(2)/68–एस.II द्वारा अधिसूचित विद्यमान भर्ती नियमों के अधिक्रमण में व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''मोटर साइकिल संदेश वाहक/डिस्पैच राइडर'' के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**–(i) इन नियमों को ''व्यापार एवं कर विभाग, मोटर साइकिल संदेश वाहक/डिस्पैच राइडर भर्ती नियमावली, 2024'' कहा जाएं

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :**–उक्त पदों की संख्या, उनका

वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादिः**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें

4. **अयोग्यताः**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगां

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती हैं

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती हैं

6. **बचाव :**—इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगां

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**मोटर साइकिल संदेश वाहक/डिस्पैच राइडर**
2.	**पदों की संख्या**	:	11*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन स्तर—2 (रुपये 19900—63200/—) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18—25* वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमी 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः**— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि पदों को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना है, तो आयु—सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।

7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य:–** 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समकक्ष उत्तीर्ण। 2. मोटरसाइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। 3. मोटरसाइकिल/ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्षों का अनुभव। 4. मोटरसाइकिल या ऑटोरिक्शा के मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) 5. अंग्रेजी तथा हिंदी/उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ने में सक्षम हो जिसमें संबंधित संगठन स्थित है। **वांछनीय :–** i) होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टीप :** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	02 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रतिनियुक्ति या पुनःरोजगार

11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** व्यापार एवं कर विभाग के नियमित मल्टी टास्किंग स्टाफ, समूह ग में से, जिसके न होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों के नियमित मोटर साइकिल संदेश वाहक/डिस्पैच राइडर समूह ग कर्मचारियों में से, जिनके पास कॉलम 7 में दी गई योग्यता और अनुभव है। **भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रतिनियुक्ति या पुनःरोजगारः** सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत होने हैं अथवा एक वर्ष की अवधि के भीतर जिन्हें रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाना है तथा निर्धारित अपेक्षित अनुभव एवं योग्यताएं रखते हों, पर भी विचार किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति की शर्ते उस तिथि तक दी जायेंगी जिस तिथि तक उन्हें सशस्त्र बलों से मुक्त किया जाना है उसके पश्चात् उन्हें पुनःरोजगार पर जारी रखा जा सकता है। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	समूह 'ग' स्थायीकरण के विचारार्थ, विभागीय स्थायीकरण समिति **1.** प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – **अध्यक्ष** **2.** संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (शह0वि0) – **सदस्य** **टीप** :– यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस.के. सिंह, विशेष आयुक्त (व्यापार एवं कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2025

F.No. IV/Misc/RR/Estt/10/Pt.File-3/2177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him. (i) dated, the 13" July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of 'Motor Cycle Messenger/Despatch Rider' in Department of Trade & Taxes, Government of National Capital Territory of Delhi in supersession of existing RRs notified vide Notification No. F.2(2)/68-S.II dated 23-09-1969 as following, namely:

1**. Short title and commencement**. - (i) These rules may be called the Department of Trade and Taxes, Motor Cycle Messenger/Despatch Rider, Recruitment Rules, 2024.

(i) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay Level in Pay Matrix** - The number of the said posts, their classification and the level of pay thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc**. – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4**. Disqualifications** – No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operations of this rule.

5. **Power so to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary any of to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6**. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	**Name of the post.**	Motor Cycle Messenger/Despatch Rider
2.	**Number of posts.**	11*(2024) *Subject to variation dependent on work load.
3.	**Classification.**	General Central Service Group "C" Non-Gazetted, Non Ministerial
4.	**Level in the pay matrix.**	Pay Level-2 (Rs. 19900-63200/-) as per 7th CPC
5.	**Whether selection or non-selection.**	Not Applicable
6.	**Age limit for direct recruits.**	18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issues by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.
7.	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	**Essential:** 1. Matriculation or Industrial Training Institutes equivalent pass from a recognized Institution or Board 2. Possession of a valid driving license for Motor Cycle or Autorickshaw 3. Two years' experience in driving Motor Cycle/ Autorickshaw 4. Knowledge of Motor Cycle or Autorickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle) 5. Ability to read English and Hindi /Regional Languages of the area in which the concerned organization is situated. Desirable : i) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of the candidates belonging to Schedule castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.**	Not Applicable
9.	**Period of probation, if any**	02 years
10.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	By deputation or absorption, failing which by direct recruitment For Ex- servicemen Deputation or re- employment
11.	**In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.**	**Deputation or absorption:** From amongst the regular Multi Tasking Staff, Group C in the Department of trade & Taxes failing which from regular Motor Cycle Messenger/ Despatch Rider or Group C employees from the Departments of Government of NCT of Delhi who possess the qualification and experience in Column 7 For Ex- servicemen **Deputation or re-employment:** The armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for released from the Armed Forces; thereafter they may be continued as reemployment: (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of central Government shall ordinarily not exceed three years)
12.	**If a Departmental promotion Committee exists what is its composition.**	**Group-'C' DCC for considering confirmation** 1.Principal Secretary/ Secretary (PWD) -**Chairperson** 2.Head of the Department, Concerned -**Member** 3. Deputy Secretary (UD) –**Member** **Note** :- Senior most member of the DCC shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the DCC.
13.	**Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

S.K. SINGH, Spl. Commissioner (Trade & Taxes)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.11 15:44:27 +05'30'